Title: Need to advise Jharkhand Government to amend Jharkhand Panchayat Raj Bill, 2001 with a view to provide representation to other castes also- -Laid.

श्री राम टहल चौधरी (रांची): नियम 377 के माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि झारखंड पंचायत राज विधेयक 2001 जो भूरिया, कमीशन की सिफारिशों के आधार मानकर झारखंड विधान सभा में पारित की गई है, उसमें बारह जिले में अनुसूचित जनजाति, मानकी एकल पदों को आरक्षित कर दिया गया है, जैसे मुखिया, उप मुखिया, उप प्रमुख, जिला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सभी प्रमुख पदों को आरक्षित कर दिया गया है जो कि उचित नहीं है। जनसंख्या के आधार पर जिन पंचायतों में अनुसूचित जनजाति की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक है वहीं पर मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख अध्यक्ष का पद आरक्षित हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। गैर आदिवासी पिछड़े, दलित एवं अन्य जाति की संख्या बहुत बड़ी है, जिनको समुचित स्थान नहीं दिया है, जिससे इन वर्गो में काफी असंतोा है। इससे िवकास कार्य अवरूद्ध होगा और आपसी भेदभाव बढ़ेगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जब तक इस बिल का सुधार नहीं होता तब तक झारखंड में पंचायतों में चुनाव न कराये जाएं और बिल में संशोधन शीघ्र कराया जाए चूंकि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सत्ताईस प्रतिशत है बाकि संख्या गैर आदिवासी की है।